SHAKUNTALAM INSTITUTE OF TEACHERS EDUCATION

KIRHINDIH, KUMHAU STATION ROAD, SHIVSAGAR

COURSE NAME – B.Ed. 1st year SESSION – 2021-2023

SUBJECT - भारतीय शिक्षा का इतिहास

TOPIC NAME – शिक्षा आयोग (1964-66) कोठारी आयोग

DATE - 18/04/2022

शिक्षा आयोग 1964-66
कोठारी आयोग

PAGE NO.
DATE :

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत सरकार ने देश की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए सर्वप्रथम 1948 ई० में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया था तत्पश्चात् 1952 में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग गठित किया इन आयोगों ने अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुझाव दिये जिसके अनुरूप भारत सरकार ने उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयास भी प्रारम्भ कर दिये थे। फिर भी यह अनुभव किया जा रहा था कि उपयुक्त दोनों आयोग एकांगी है। अतः ऐसे आयोग का गठन आवश्यक है जो विविध स्तरों पर शिक्षा के सभी पहलुओं से संबंधित हो और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करके देश के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा संबन्धी नीतियों एवं उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करें।

आयोग की नियुक्ति के कारण व प्रयोजन

1. स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत सरकार ने परम्पराओं और आधारभूत मान्यताओं एवं आधुनिक समाज की आवश्यकताओं एवं के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है।

2 स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में शिक्षा के महत्वपूर्ण स्थान को स्वीकार किया गया है। शिक्षा ही लोकतंत्रीय समाज का निर्माण कर सकती है। शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र की जाँच की जाए जिसके फलस्वरूप एक ऐसी सुसन्तुलित एवं सुसंगठित राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली का विकास किया जा सके।

3 भारत के लिए शिक्षा का नियोजन वास्तविक अनुभवों तथा दशाओं पर आधारित होना चाहिए।

4 भारत सरकार का विश्वास है कि शिक्षा राष्ट्रीय समृद्धि एवं कल्याण की कुंजी है तथा कोई भी पूँजी निवेश इतना अधिक लाभ नहीं देता है जितना कि मानव संसाधनों में किया गया पूँजी निवेश जिसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग शिक्षा है।

उपर्युक्त कारणों तथा प्रयोजन के लिए 14 जुलाई 1964 ई० को वि० वि० अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉ दौलत सिंह कोठारी को शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था इसलिए इसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है आयोग में कुल 17 सदस्य थे जिनमें से 6 अन्य देशों के शिक्षा - विशेषज्ञ थे।

आयोग के जाँच के विषय

14 जुलाई 1964 के प्रस्ताव में "शिक्षा आयोग" की जाँच के विषयों को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया गया "आयोग - भारत सरकार को शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और उनके सब स्तरों एवं पक्षों पर शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धान्तों एवं नीतियों के विषय से परामर्श देगा। आयोग को चिकित्सा या कानून की शिक्षा की समस्याओं की जाँच करने की आवश्यकता नहीं है पर वह इन समस्याओं के उन पक्षों की जाँच कर सकता है जो व्यापक जाँच की दृष्टि से आवश्यक हो।"

आयोग का कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होने के कारण समुचित जाँच हेतु 12 कार्यदल और 7 कार्य समूह गठित किए गए इनके आधार पर आयोग ने अपने सुझावों एवं संस्तुतियों को 19 अध्यायों एवं 692 पृष्ठों में एक प्रतिवेदन तैयार किया और 29 जून 1966 ई० को भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षामंत्री श्री० एम० सी० दागला के समक्ष प्रस्तुत किया।

आयोग के सुझाव एवं संस्तुतियां

आयोग ने शिक्षा के सभी अंगों के विषय में अपने विचार व्यक्त किये हैं। इनमें से महत्वपूर्ण अंग निम्नलिखित हैं। —

1. शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य

PAGE NO.
DATE :

इस संबंध में आयोग का मत है कि "शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सुधार यह है कि इसको इसप्रकार परिवर्तित करने का प्रयास किया जाय कि इसका व्यक्तियों के जीवन आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं से सम्बन्ध स्थापित हो जाय। इसप्रकार शिक्षा को उस सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों का शक्तिशाली साधन बनाया जाय जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है।"

शिक्षा द्वारा उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आयोग ने निम्नलिखित राष्ट्रीय लक्ष्यों का उल्लेख किया है।

(a) शिक्षा व उत्पादकता

शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये हैं

(i) विज्ञान की शिक्षा को विद्यालय शिक्षा एवं वि० वि० शिक्षा में सब पाठ्यक्रमों का विभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए।

(ii) उच्च शिक्षा में कृषि शिक्षा पर बल।

(iii) कार्य अनुभव को सम्पूर्ण शिक्षा का विशिष्ट अंग बनाया जाना चाहिए। जैसे - शिल्प विज्ञान, औद्योगीकरण

6 सामाजिक व राष्ट्रीय एकता —

(i) सार्वजनिक शिक्षा के लिए सामान्य विद्यालय प्रणाली एवं इस प्रणाली को 12 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर दिया जाना चाहिए।

(ii) शिक्षा के सभी स्तरों पर सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होना चाहिए।

(iii) प्रत्येक जिले में "श्रम एवं सामाजिक सेवा शिविरों" की नियमित रूप से व्यवस्था होनी चाहिए।

(iv) सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायता देने के लिए सरकार द्वारा उपयुक्त भाषा नीति का निर्माण किया जाना चाहिए।

(v) मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा को सब स्तरों पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए और इस कार्यक्रम को 10 वर्ष में पूर्ण कर दिया जाना चाहिए।

(vi) अंग्रेजी के शिक्षण एवं अध्ययन को विद्यालय स्तर से ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(vii) सामाजिक व राष्ट्रीय चेतना के विकास को विद्यालय-शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाना चाहिए।

(viii) सभी पाठ्यक्रमों में नागरिकता संविधान के सिद्धान्तों एवं लोकतंत्रीय समाजवादी समाज के स्वरूप को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए।

शिक्षा और आधुनिकीकरण →
आधुनिकीकरण करने के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान बनाया जाना चाहिए और आधुनिकीकरण की प्रगति एवं शैक्षिक प्रसार की गतियों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।

2 शिक्षा प्रणाली संरचना एवं स्तर

(i) विद्यालय शिक्षा की नवीन संरचना
(a) 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा
(b) सामान्य शिक्षा की अवधि 10 वर्ष
(c) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 2 वर्ष
(d) कक्षा 1 में प्रवेश की आयु 6+ से कम नहीं होनी चाहिए।

(ii) विश्वविद्यालय शिक्षा की नवीन संरचना
(a) डिग्री कोर्स की अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

3. शिक्षक की स्थिति
शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति को उन्नत करने और व्यवसाय में प्रतिभावान तरुण व्यक्तियों की प्रतिपुष्टि के लिए साधन और सतत प्रयास आवश्यक है।

4. शिक्षक शिक्षा

शिक्षा की गुणात्मक प्रगति के लिए शिक्षकों की व्यावसायिक शिक्षा का सघन कार्यक्रम आवश्यक है।

1 शिक्षाशास्त्र जो प्रशिक्षणशास्त्र (Pedagogy) से भिन्न हो को एक स्वतंत्र शैक्षिक विषय के रूप में मान्य होना चाहिए।

2. कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों के विकास अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए शिक्षा विभागों की स्थापना की जानी चाहिए।

3. प्रत्येक राज्य में अध्यापक कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए।

4. प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष कर दी जानी चाहिए एवं शिक्षा में स्नातकोत्तर (M.ed.) की अवधि 1½ वर्ष होनी चाहिए।

5 शैक्षिक अवसरों की समानता.

6 विद्यालय पाठ्यक्रम

आयोग ने विद्यालय पाठ्यक्रम में निहित दोषों को दूर करने के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए हैं वे निम्न हैं —

1, निम्न प्राथमिक स्तर → (Class 1 to V)
(1) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा (2) गणित (3) वातावरण का अध्ययन कक्षा 3 एवं 4 में विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन की शिक्षा (4) सृजनात्मक क्रियाएँ (5) कार्य अनुभव एवं समाज सेवा (6) स्वास्थ्य शिक्षा

PAGE NO.
DATE :

2 उच्चतर प्राथमिक स्तर —

1. दो भाषाएँ - (अ) मातृभाषा या ~~अंग्रेजी~~ क्षेत्रीय भाषा (ब) हिन्दी या अंग्रेजी
2. गणित 3. विज्ञान 4. सामाजिक अध्ययन (5) कला
6. कार्य अनुभव एवं समाज सेवा
7. शारीरिक शिक्षा (8) नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा

निम्न माध्यमिक स्तर — VIII to X

(1) तीन भाषाएँ - अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में सामान्य रूप से निम्नांकित भाषाएँ होनी चाहिए —
(अ) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा (ब) उच्च या निम्न स्तर की अंग्रेजी 2. गणित (3) विज्ञान
4. इतिहास, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र 5. कला
6. कार्य अनुभव एवं समाज सेवा 7 शारीरिक शिक्षा
(8) नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा

4.

उच्चतर माध्यमिक स्तर (XI - XII)

1 कोई दो भाषाएँ - जिसमें कोई आधुनिक भारतीय भाषा कोई आधुनिक विदेशी भाषा एवं कोई शास्त्रीय भाषा सम्मिलित हो।
2 इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान समाजशास्त्र, कला, भौतिकी, रसायन, गणित, जीवविज्ञान भूगर्भशास्त्र गृहविज्ञान में से कोई तीन विषय
(3) समाज सेवा या कार्य अनुभव
4 शारीरिक शिक्षा
5 शिल्पकला
6 नैतिक या आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा